

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35 A, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

क्रमांक/ 81 /स्थापना-सेवा/2015 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 33/ स्थापना सेवा/ 2015, दिनांक 13.03.2015 द्वारा "सम्पदा" ई-पंजीयन परियोजना के लिए रिक्त उप पंजीयक के पद के प्रभार में पदस्थ किए गए निम्नलिखित पंजीयन लिपिकों के प्रभार में कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से परिवर्तन करते हुए उन्हें स्वयं के व्यय से स्थानांतरित कर उनके नाम के सामने दर्शाए गए कॉलम नंबर 4 के उप पंजीयक कार्यालय में रिक्त उप पंजीयक के पद का प्रभार सौंपा जाता है।

स. क्र.	पंजीयन लिपिक का नाम	वर्तमान उप पंजीयक के पद के प्रभार की पदस्थापना	उप पंजीयक के पद के प्रभार की नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री विजय कुमार पाण्डे	लांजी, जिला बालाघाट	परासिया, जिला छिंदवाड़ा
2.	श्री अशोक कुमार जादौन	मनावर, जिला धार	शामगढ़, जिला मंदसौर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।

निरंतर.....2

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार्इन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा । स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी । इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठां० क्र० 270 /स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त,, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. जिलाध्यक्ष,, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
7. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित श्री मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ ।



महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश